छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन,
नवा रायपुर अटल नगर– 492002

Comp. No.:38549 /PROJ-4109/116/2025-Agri. Sec.(Tec.) दिनांक

प्रति,

1. संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छ.ग. रायपुर।
2. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छत्तीसगढ़।
4. समस्त उप/सहायक संचालक उद्यान, छत्तीसगढ़।

विषय :– पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से राज्य पोषित **'आलू फसल प्रदर्शन विकास योजना'** के दिशा–निर्देश के बाबत्।

प्रस्तावना –

मानव आहार में प्रयोग की जाने वाली सब्जियों में आलू का प्रमुख स्थान है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की प्रचुरता के साथ साथ खनिज लवण, विटामिन तथा अमीनो अम्ल की मात्रा भी पायी जाती है। छत्तीसगढ़ में खरीफ मौसम अंतर्गत सरगुजा संभाग के पाट एवं पठारी क्षेत्र के विकासखण्डों शंकरगढ़, मैनपाट, बगीचा एवं कुसमी में आलू की खेती प्रमुखता से की जाती है तथा रबी मौसम में शेष मैदानी जिलों में भी आलू की खेती की जाती है। आलू फसल की कम अवधि में परिपक्वता के कारण विभिन्न फसल चक्रों में इसका समावेश भी आसान होता है। छत्तीसगढ की जलवायु विविधता के कारण आलू फसल के क्षेत्र विस्तार में वृद्धि की पर्याप्त संभावनाएँ हैं।

1. **<u>योजना का नाम</u>** :– **'आलू फसल प्रदर्शन विकास योजना'** (योजना क्र. 7200)
2. **<u>योजना का प्रारंभ तथा कार्यक्षेत्र</u>** :– इस योजना का कियान्वयन वर्ष 2025–26 से प्रदेश के समस्त जिलो में किया जाएगा।
3. <u>उद्देश्य</u>
   - 3.1 आलू फसल के नवीन किस्मों के उपयोग हेतु कृषकों को प्रोत्साहित करना।
   - 3.2 आलू बीजोत्पादन को बढ़ावा देकर बीज उत्पादक कृषकों एवं विभागीय नर्सरियों की आय में वृद्धि।
   - 3.3 आलू का फसल चक्र में समायोजन द्वारा फसल सघनता, कृषक आय एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि।
4. **लक्ष्यों का निर्धारण** :–
   1. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निर्धारित बजट सीमा के अध्याधीन संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी द्वारा जिलेवार लक्ष्यों का निर्धारण किया जावेगा।
   2. उप/सहायक संचालक उद्यान द्वारा जिला पंचायत की कृषि स्थायी समिति से अनुमोदन उपरांत विकासखंडवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण किया जावेगा।
5. **<u>योजना का कियान्वयन</u>**
   1. योजना का क्रियान्वयन क्लस्टर आधार पर किया जाएगा, जिसकी इकाई ग्राम पंचायत होगी।
   2. उप/सहायक संचालक उद्यान द्वारा चयनित ग्राम पंचायतो की सूचना जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत को उपलब्ध कराई जाएगी।
   3. योजना के तहत् चयनित हितग्राहियों की सूची पर संबंधित ग्राम पंचायत या ग्राम सभा से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

6. क्लस्टर चयन के समय निम्नांकित बिन्दु ध्यान में रखे जायेंगे :–

1. प्रत्येक क्लस्टर का न्यूनतम क्षेत्रफल 10 हेक्टेयर होना चाहिये। जो चयनित ग्राम पंचायतो में ही अवस्थित हो।
2. चयनित क्लस्टर की भूमि एवं जलवायु चयनित फसल के लिए उपयुक्त होना चाहिए, जिसका निर्धारण संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विषय विशेषज्ञों/वैज्ञानिकों से समन्वय द्वारा करेंगे।
3. हितग्राहियों को आलू की खेती से संबधित समस्त शस्य क्रियाओं, तकनीकी सहायता एवं मार्गदर्शन आदि अनिवार्यतः दी जाए।
4. योजना अन्तर्गत लिये जाने वाले विभिन्न घटकों का क्रियान्वयन क्लस्टर क्षेत्र में ही होना चाहिये एवं उनका आपस में तालमेल होना अनिवार्य है।

7. <u>हितग्राही की पात्रता एवं क्षेत्र/क्लस्टर चयन का आधार</u>

1. सभी वर्ग के भूमिधारी कृषक अथवा कृषक समूह, जिनके पास सुनिश्चित सिंचाई संसाधन उपलब्ध हो, योजना अंतर्गत लाभ लेने पात्र होंगे।
2. इस योजनांतर्गत एक कृषक को 03 वर्ष में एक बार ही लाभान्वित किया जावेगा।
3. प्रत्येक हितग्राही को अधिकतम 0.40 हेक्टयर तक ही योजना से लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी। इस हेतु हितग्राही को निर्धारित **प्रपत्र–1** में आवेदन करना होगा। हितग्राही द्वारा चयनित, जिस खसरा में आलू बीज की बुवाई किया जाना प्रस्तावित है, उसका क्षेत्रफल सहित स्पष्ट उल्लेख आवेदन पत्र के **प्रपत्र–1** में किया जाना होगा।
4. हितग्राही द्वारा चयनित रकबे एवं उसके क्षेत्रफल मे किसी अन्य फसल या पौध रोपण पर (अंतवर्तीय फसलों को छोड़कर) अनुदान की पात्रता नहीं होगी।
5. उपरोक्त माण्दण्डों के अधीन पात्रता रखने वाले कृषक/कृषक समूहों का प्राप्त लक्ष्यों के अधीन तथा "पहले आये पहले पाये" के आधार पर चयन किया जाकर इसका अनुमोदन संबंधित ग्राम पंचायत/ग्रामसभा से लिया जायेगा तथा संबधित क्षेत्र के ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी द्वारा कृषको के आवेदन एवं अभिलेखों के सत्यापन उपरांत जानकारी आगामी 5 कार्य दिवसों में उद्यान विकास अधिकारी/वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। ग्राम पंचायत/ग्रामसभा द्वारा अनुमोदित सूची पर किसी भी स्तर से परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
6. योजना क्रियान्वयन हेतु इच्छुक एवं निर्धारित मापदंडों को पूरा करने वाले हितग्राहियों का चयन ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी द्वारा निर्धारित लक्ष्य से 20 प्रतिशत अधिक की प्रतीक्षा सूची सहित तैयार की जाएगी। इस पूर्ण सूची का ग्राम सभा से अनुमोदन उपरांत उद्यान विकास अधिकारी/वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।
7. प्रत्येक विकासखंड मुख्यालय स्तर पर एक पंजी संधारित की जायेगी जिसमें चयनित कृषक/कृषक समूहों की वरीयता का निर्धारण कार्यालय में चयन सूची प्राप्त होने के दिनांक के आधार पर निर्धारित किया जायेगा।
8. उद्यान अधीक्षक या वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी द्वारा आवश्यक सत्यापन उपरांत प्रकरण स्वीकृति हेतु 10 कार्य दिवसों कार्यालय उप/सहायक संचालक उद्यान को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. उप/सहायक संचालक उद्यान प्रकरणों की स्वीकृति की सूचना जिला पंचायत की कृषि स्थायी समिति तथा विभागाध्यक्ष को देंगें। इसकी प्रति कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा की जायेगी।

10. उप/सहायक संचालक उद्यान अपने जिले के योजनांतर्गत चयनित प्रदर्शन रकबे का 25 प्रतिशत स्थल निरीक्षण संबंधित ग्राम के पंच/सरपंच की उपस्थिति में करेंगे। योजना क्रियान्वयन के दौरान किसी भी समय हितग्राही द्वारा लापरवाही बरतने पर हितग्राही को आगामी 05 वर्षो तक योजना का लाभ लेने से वंचित किया जा सकेगा। यदि अनुदान में प्राप्त सामग्री का अपव्यय पाया जाता है तो विभाग इसकी वसूली "भूराजस्व के बकाये की वसूली" की तरह कर सकेगा। इस संबंध मे **प्रपत्र–2** अनुसार कृषक को सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

8. कृषक की जिम्मेदारी :–

1. योजना का लाभ लेने के लिये कृषक को स्वयं अथवा विभागीय कर्मचारियों के सहयोग से **हार्टिकल्चर बेनेफिसरी ट्रैकिंग सिस्टम** पोर्टल https://cghorticulture.gov.in/bts/#/login पर ऑनलाईन आवेदन करना होगा।
2. कृषक अनुदान राशि के अतिरिक्त अन्य सामग्री/कार्यो के लिए राशि की व्यवस्था स्वयं करेगा।
3. कृषक को तकनीकी अमले के द्वारा दिये गये मार्गदर्शन एवं तकनीकी सलाह का पालन करना होगा।
4. योजना के क्रियान्वयन में कृषक की लापरवाही पाये जाने पर उसे इस योजना से हटाया जा सकेगा एवं उसे अनुदान की पात्रता नहीं रहेगी।
5. कृषक के पास फसल प्रदर्शन के लिए सिंचाई का सुनिश्चित स्त्रोत होना चाहिये।

9 <u>योजना के घटक एवं अनुदान</u>:–

1. 0.40 हेक्टेयर हेतु फसल प्रदर्शन पर विभिन्न घटकों में देय अधिकतम अनुदान का विवरण निम्नानुसार है:–

(राशि रू. में)

क्र.	आदान सामग्री का नाम	अधिकतम अनुदान राशि
1	आलू बीज (800 कि.ग्रा.)	40,000/-
2	जैव उर्वरक/सूक्ष्म तत्व	500/-
3	पौध संरक्षण रसायन	500/-

10 <u>आदान सामग्री की व्यवस्था</u> :–

1. जिले के उप/सहायक संचालक उद्यान शासकीय उद्यान रोपणियों, कृषि/उद्यानिकी विश्वविद्यालय या उसके अधीन संचालित कृषि विज्ञान केन्द्रों की रोपणियों में उत्पादित होने वाले उत्तम प्रजाति के आधार/प्रमाणित आलू बीज की आपूर्ति किये जाने पर सामग्री के देयकों पर नियमानुसार भुगतान प्रावधानित अनुदान राशि से संबंधित संस्था को करेंगे।
2. उपरोक्त संस्थानों/स्त्रोतों से पर्याप्त मात्रा में बीज उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में योजनान्तर्गत आलू फसल प्रदर्शन हेतु बीज की पूर्ति नही होने की स्थिति में संचालक उद्यान द्वारा छ.ग. शासन भण्डार क्रय नियम 2002 (यथा संशोधित 2022) एवं इसमें समय–समय पर किये संशोधनों के अध्याधीन बीज विक्रय हेतु अनुज्ञप्तिधारी संस्थाओं/फर्मो से निर्धारित प्रक्रिया के तहत् सामग्री का क्रय कर जिलों में पदस्थ मैदानी अमलों के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को उपलब्ध करवाया जाएगा। कृषक स्वयं भी इन संस्थाओं से क्रय हेतु स्वतंत्र होंगे तथापि बीज पर अनुदान का निर्धारण शासकीय उद्यान रोपणियों में निर्धारित बीज की प्रति इकाई कीमत के आधार पर निर्धारित

किया जावेगा। यदि बीज का क्रय मूल्य निर्धारित अनुदान राशि से अधिक होगा तो अतिरिक्त राशि का वहन कृषक द्वारा किया जाना होगा।

3. जिले के उप/सहायक संचालक उद्यान द्वारा भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन जिला पंचायत कृषि स्थायी समिति को प्रस्तुत किया जावेगा।
4. क्षेत्र की आवश्यकतानुसार अन्य आदानों तथा उनकी अनुशंसित मात्रा का निर्धारण कृषि/उद्यानिकी महाविद्यालय अथवा जिले के कृषि विज्ञान केन्द्र की अनुशंसा पर किया जावेगा। इन समस्त आदानों का क्रय आवश्यकतानुसार कृषक स्वयं अनुज्ञप्तिधारी आदान विक्रेताओ से करेगा। क्रय से संबंधित ऐसे देयकों का सत्यापन संबंधित ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी/उद्यान विकास अधिकारी द्वारा किया जाकर कृषक के खाते में भुगतान हेतु उप/सहायक संचालक उद्यान को प्रेषित किया जावेगा।
5 योजना अंतर्गत प्रदायित सामग्री का शत्–प्रतिशत् भौतिक सत्यापन संबंधित क्षेत्र के ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी द्वारा कर **(प्रपत्र–3 अनुसार)** कृषक से पावती एवं संतुष्टि प्रमाण–पत्र **(प्रपत्र–4)** प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
6 ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन में से 25 प्रतिशत का सत्यापन उद्यान विकास अधिकारी/उद्यान अधीक्षक/वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जिसके आधार पर उप/सहायक संचालक उद्यान द्वारा अनुदान स्वीकृति एवं भुगतान की कार्यवाही की जाएगी। इन कार्यवाहियों के नियमानुसार निष्पादन की समस्त जवाबदेही संबंधित जिले के उप/सहायक संचालक उद्यान की होगी।
7 प्रकरणों की स्वीकृति प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निर्धारित बजट सीमा के अध्याधीन की जावेगी।

11 **तकनीकी स्वीकृति का अधिकारः–** योजना के कियान्वयन संबंधी समस्त तकनीकी अधिकार उप/सहायक संचालक उद्यान को प्रदत्त रहेंगे।

12. **प्रशासनिक तथा वित्तीय अधिकार–**

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत का प्रशासनिक एवं वित्तीय पहलुओं पर सामान्य नियंत्रण रहेगा।
2. जिले के उप/सहायक संचालक उद्यान द्वारा कृषि स्थायी समिति के अनुमोदन उपरांत अनुदान राशि का भुगतान किया जायेगा।
3. उप/सहायक संचालक उद्यान द्वारा हितग्राहियों को स्वीकृत अनुदान की सूची नाम एवं राशि सहित जिला जनसंपर्क कार्यालय तथा संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा। जिसे विभागीय वेबवाईट में भी प्रकाशित किया जाएगा।

13. **<u>योजना क्षेत्र का निरीक्षण</u>** :–

क्र.	अधिकारी	प्रतिशत
1	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी	100
2	वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी/उद्यान अधीक्षक	75
3	उप/सहायक संचालक उद्यान	25
4	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत या उनके प्रतिनिधि	5
5	संचालक उद्यान या उनके प्रतिनिधि	1

14. **समीक्षा** :–

1 योजना के कियान्वयन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु समीक्षा की कार्यवाही बिन्दु क्रमांक 15 में वर्णित अनुसार वरिष्ठालय द्वारा तथा जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत के माध्यम से समय–समय पर की जावेगी।

2 जिले में होने वाली जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायतों की बैठकों में उपस्थित होकर सक्षम अधिकारियों द्वारा प्रगति की जानकारी भी दिया जावेगा।

15. प्रगति प्रतिवेदन :–

1 ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी कार्यक्रम के लक्ष्यों की पूर्ति की मासिक जानकारी संधारित कर उद्यान विकास अधिकारी/वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी को प्रत्येक **माह की 1 तारीख तक** प्रस्तुत करेंगें।

2 उद्यान विकास अधिकारी/वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी इस कार्यक्रम के लक्ष्यों की पूर्ति की मासिक जानकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं उप/सहायक संचालक उद्यान को प्रत्येक **माह की 03 तारीख तक** उपलब्ध करावेंगे।

3 योजनाओं का मासिक प्रगति प्रतिवेदन उप/सहायक संचालक उद्यान द्वारा निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर जिला पंचायत एवं विभागाध्यक्ष को प्रदर्षन का प्रारंभ होने के माह से सामप्ति के माह तक प्रत्येक माह के **5 तारीख** तक हार्टि बजट पोर्टल https://agriportal.cg.nic.in/hortibudget/ पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

16. **योजना के क्रियान्वयन में होने वाला व्यय निम्नांकित लेखा शीर्ष के अंतर्गत विकलनीय होगा –**

(i) मांग संख्या–13, 2401–कृषि कार्य, (119)–बागवानी और सब्जियों की फसलें 0101 राज्य आयोजना (सामान्य), (7200)–आलू फसल प्रदर्शन विकास योजना # 14– सहायक अनुदान, 012 अन्य अनुदान।

(ii) मांग संख्या–41 अनुसूचित जनजाति उपयोजना, 2401–कृषि कार्य, (119)–0102–बागवानी और सब्जियों की फसलें, 0102–अनुसूचित जनजाति उपयोजना, (7200)– आलू फसल प्रदर्शन विकास योजना # 14–सहायक अनुदान, 012 अन्य अनुदान।

(iii) मांग संख्या–64 अनुसूचित जाति उपयोजना, 2401–कृषि कार्य, (119)–0103–बागवानी और सब्जियों की फसलें, 0103–अनुसूचित जाति उपयोजना, (7200)– आलू फसल प्रदर्शन विकास योजना # 14– सहायक अनुदान, 012 अन्य अनुदान।

उपरोक्त दिशा–निर्देश पर छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग की नस्ती क्रमांक **FINACC-3602/758/2025-FINANCE** दिनांक 16.06.2025 द्वारा दी गई सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे है।

संलग्न – प्रपत्र 1 से 4 तक

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(विकास मिश्रा) 19/6/25.
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

Comp. No.:38549 /PROJ-4109/116/2025-Agri. Sec.(Tec.)

प्रतिलिपि :–

1. माननीय मुख्यमंत्रीजी के प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, छ.ग.शासन,
2. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, छ.ग.शासन।
3. मुख्य सचिव के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, कार्यालय मुख्य सचिव, छ.ग. शासन,
4. निज सहायक, कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव, छ.ग.शासन,
5. निज सहायक, सचिव, छ.ग.शासन, वित्त विभाग,
6. निज सहायक, सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छ.ग.शासन,
7. महालेखाकार, छ.ग. रायपुर
8. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड, रायपुर,
9. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर,
10. कुल सचिव, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर,
11. कुल सचिव, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, दुर्ग।

19.June.25

(अमित कुमार सिंह)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र – 1

'आलू फसल प्रदर्शन विकास योजना'
आवेदन–पत्र

1. कृषक का नाम :– ....

2. पिता / पति का नाम :– ....

3. जाति | अ.जा. | | अ.ज.जा. | | अ.पि.अ. | | अनारक्षित | |

4. मोबाइल नंबर (बैंक खाते से लिंक मोबाईल नं. को प्राथमिकता देवे):– | | | | | | | | | | |

5. पता:– ग्राम ....ग्राम पंचायत.................................... विकासखंड ....तहसील....... .... जिला:–...

6. ऋण पुस्तिका क्रमांक :– ....

7. कुल रकबा(हे.) .... कृषि योग्य रकबा(हे.) .... पड़त भूमि (हे.) ....

8. आलू की बोवाई हेतु चयनित भूमि का विवरण

   खसरा क्र. ....कुल रकबा(हे.) .... चयनित रकबा(हे.) ....

9. सिंचाई साधन :– निजी / सामुदायिक सिंचित रकबा (अनु.) ....हेक्टेयर

   सिंचाई साधन | नलकूप | | निजी तालाब | | कुंआ | | अन्य | |

   (नहर को सुनिश्चित सिंचाई का साधन नहीं माना जाए)

10. क्या सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप / स्प्रिंकलर) है ? हां / नहीं

11. चयनित रकबे फेसिंग सुविधा उपलब्ध है? हां / नहीं

12. बैंक खाते का विवरण *(पीएम किसान / धान उपार्जन हेतु पंजीकृत बैंक खाता की जानकारी को प्राथमिकता)* :–

   (i) बैंक का नाम :–.. बैंक शाखा का नाम:–..............................

   (ii) खाता कमांक | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

   (iii) IFSC कोड: | | | | | | | | | | | | | | | | |

13. आधार कमांक | | | | | | | | | | | | |

   आधार कार्ड अनुसार पूरा नाम (अंग्रेजी में भरें) :–

   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

14. किसान क्रेडिट कार्ड नंबर .... बैंक का नाम ....साख सीमा (रू) ....

आधार नं. के उपयोग हेतु सहमति पत्र

मैं अपने आधार नंबर की जानकारी फल पौध रोपण हेतु अनुदान तथा सहायक अनुदान योजना हेतु उपयोग करने की सहमति देता / देती हूं।

आवेदक के हस्ताक्षर

<u>घोषणा–पत्र</u>

मैं...(आवेदक का नाम) सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूं कि,उपरोक्तानुसार मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी सही है, मुझे योजना से संबधित समस्त शर्तो एवं नियमो से अवगत कराया जा चुका है। मैं इस बात से भी अवगत हूं कि मेरे द्वारा झूठा घोषणा पत्र दिये जाने पर मुझे योजना के लाभ से 5 वर्ष तक वंचित किया जा सकेगा।

मैं, विभागीय अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार कार्यक्रम की शर्तों का पूर्ण रूप से पालन करने का वचन देता हूँ।

आवेदक के हस्ताक्षर

<u>गवाहो के नाम एवं हस्ताक्षर</u>

1.

2.

<u>सत्यापन</u>

मैंने दिनांक ....को आवेदक .... के आवेदन में उल्लेखित समस्त जानकारियो का दस्तावेज सहित स्थल निरीक्षण कर सत्यापन किया है और सही पाया है। मैं आवेदन पत्र में उल्लेखित जानकारी से संतुष्ट हूं और आवेदक को '**आलू फसल प्रदर्शन विकास योजना**' हेतु पंजीकृत किये जाने की अनुशंसा करता हूं।

ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी का नाम
एवं हस्ताक्षर

29

समक्ष पब्लिक नोटरी ....छत्तीसगढ़

मैं.................................पिता/पति...................................जाति.................ग्राम.......................ग्राम पंचायत .... विकासखण्ड.............................तहसील...................जिला.............. छ.ग. का निवासी हूं। पेशा कृषि कार्य का है। शपथपूर्वक निम्नांकित कथन पेश करता हूं:–

1. यह कि मैं काश्तकार हूं तथा मेरे स्वामित्व की कुल कृषि भूमि रकबा का .... हेक्टयर है, जो ग्राम......................... प.ह.नं.................विकासखण्ड......................... तहसील...................जिला.................छ.ग. में स्थित है।
2. यह कि मैं आलू उत्पादन के उद्देश्य से उद्यान विभाग की **"आलू फसल प्रदर्शन विकास योजना"** के तहत खसरा कमांक .... कुल रकबा .... हेक्टेयर में से ....हेक्टयर भूमि पर .... (आलू बीज) बुवाई का विचार किया है।
3. यह कि मैं उक्त प्रयोजन हेतु उद्यान विभाग के शासन द्वारा निर्धारित नियमानुसार अनुदान प्रकरण का आवेदन प्रस्तुत किया हूं।
4. यह कि मैं शपथ लेता हूं कि मेरे द्वारा कय अथवा उद्यान विभाग द्वारा प्रदायित .... (आलू बीज किस्म का नाम) को अन्य किसी भी व्यक्ति या संस्था के पास विकय नहीं करूंगा और इसका कंडिका 2 में उल्लेखित भूमि में बुवाई कर इसकी रक्षा करुंगा, यदि मैं इसका उल्लंघन करता हूं तो शासन को नियमानुसार अनुदान राशि मय ब्याज के वापस करूंगा।
5. यह कि यदि धन राशि वापस नहीं की गई तो संपूर्ण अनुदान मय ब्याज के भू–राजस्व की बकाया की तरह वसूल की जा सकेगी।

शपथकर्ता

हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं शपथकर्ता..................................... पिता/पति.................................यह सत्यापित करता हूं कि शपथ की कंडिका 1 से 5 तक में वर्णित सभी बातें सत्य व सही है। अतः आज दिनांक .... को अपना हस्ताक्षर कर सत्यापित किया है।

शपथकर्ता

हस्ताक्षर
नाम...............

गवाह

1.........................
2.........................

27

प्रपत्र – 3

आलू फसल प्रदर्शन विकास योजना' के तहत विभाग द्वारा प्रदायित आदान सामग्री का विवरण

कृषक का नाम :– ....

पिता नाम :– ....

पता :– ....

(क) विक्रेता / फर्म का नाम (पता सहित) ....

(ख) लायसेंस कमांक / जीएसटीएन नंबर ....

(ग) आदान सामग्री का नाम .... मात्रा ....

(घ) किस्म / स्पेशिफिकेशन ....

(ङ) आदान सामग्री का कुल विक्रय मूल्य ....

(च) देयक कमांक एंव दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि हितग्राही .... (कृषक का नाम) को '''आलू फसल प्रदर्शन विकास योजना''' उपरोक्तानुसार सामग्री प्राप्त हो चुकी है। जिसका निरीक्षण एवं सत्यापन मेरे द्वारा किया गया है एवं उल्लेख अनुसार सामग्री सही एवं गुणवत्तायुक्त है।

ग्रामीण उद्यान विस्तार
अधिकारी का नाम
एवं हस्ताक्षर
(तिथि सहित)

पावती

मुझे उपरोक्तानुसार आदान सामग्री मेरे द्वारा कय की गई है / मुझे प्राप्त हो चुकी है।

हितग्राही का नाम
एवं हस्ताक्षर
(तिथि सहित)

<u>प्रपत्र – 4</u>

संतुष्टि प्रमाण–पत्र

मैं कृषक .... पिता / पति .... ग्राम एवं ग्राम पंचायत .... विकासखंड .... जिला .... छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। मेरे द्वारा '**आलू फसल प्रदर्शन विकास योजना**' के तहत अनुदान प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है। योजना के प्रावधानुसार उद्यान विभाग द्वारा प्रदायित आदान सामग्री निम्नानुसार हैः–

(क) आदान सामग्री का नाम ....

(ख) मात्रा ....

(ग) किस्म / स्पेशिफिकेशन ....

उक्त आदान सामग्री मेरी पसंद अनुसार है और सामग्री की गुणवत्ता से मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ।

<u>गवाहो के नाम एवं हस्ताक्षर</u>

1.

2.

हितग्राही का नाम
एवं हस्ताक्षर
(तिथि सहित)

ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी
का नाम एवं हस्ताक्षर
(तिथि सहित)